

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 34 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

रामलाल पिता श्री मोती डांगी, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

1. मनीष सपरा पिता श्री ओमप्रकाश सपरा, निवासी तिरुपति विहार, पुंला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. विजय सपरा पिता श्री हरिश सपरा, निवासी शक्तिनगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा- 223 राजस्थान
काश्त. अधि.- 1955 विरुद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा दि.

27.03.2024 प्रकरण संख्या 11 / 2019

---- / ----

- उपस्थित :-
- 1- श्री हर्षद जोशी अभिभाषक अपीलान्त
 - 2- श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभि.रे.सं. 1, 2
 - 3- श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

---- :: ----

निर्णय

दिनांक 04-07-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़गांव, तहसील बड़गांव में आराजी नंबर 1585 व 1586 कुल कित्ता 2 रकबा 0.3450 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 7/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 2/9 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन विवेदन करते हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।



अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 5 तनकिया कायम की जाकर दिनांक 27-03-2024 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21-05-2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गा सिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल से रिमाण्ड होकर सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 18-03-2024 नियत की गयी, किन्तु उसके नोटिस अपीलान्त को तामिल नहीं हुए, न ही न्यायालय की पत्रावली पर नोटिस जारी होने का कोई अंकन है। जबकि उक्त पत्रावली में मुसन्ना कायम होकर पेशी दिनांक 30-05-2023 नियत थी, जिस पर अपीलान्त उपस्थित होता रहा है। दिनांक 18-04-2024 को आदेशिका में चुनाव कार्य में व्यस्त होने की सील लगी हुई है तथा दिनांक 27-03-2024 तक भी अपीलान्त की कोई तामिल नहीं हुई है, जिससे अपीलान्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 1 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 अनुसार अपीलान्त व

रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 व 2 अर्थात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी नंबर 1585 व 1586 कुल किता 2 रकबा 0.3450 हैक्टर के सहखातेदार दर्ज हैं एवं प्रत्येक सहखातेदार को अपनी आराजियात का विभाजन कराने का पूर्ण हक व अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी वादीगण के उन्हीं हक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए रेस्पॉन्डेन्ट/वादीगण का विभाजन का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27-03-2024 यथावत रखी जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04-07-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासप्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

रामलाल पिता श्री मोती डांगी, नि० बनाम मनीष पिता श्री ओमप्रकाश सपरा,
बेदला, तहसील बड़गांव, जिला निवासी तिरूपति विहार, पुंला, तह.
उदयपुर बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....34 / 2024.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....बड़गांव..... मुकाम.....मुवर्खे.....27.....माह.....03.....2024

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....04.....माह.....07.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री हर्षद जोशी.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री दुर्गा सिंह शक्तावत
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्त
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री
27-03-2024 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....04.....माह.....07.....2024
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रु०	पै०	रेस्पोंडेन्ट	रु०	पै०
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।